

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-111/ 966-74

दिनांक :- 16-8-23

आदेश संख्या:- 42 /2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुत्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(89)एफ.डी./रुत्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाकार ग्रेड-1 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स में लेवल L-13 स्वीकृत की जाती हैं।

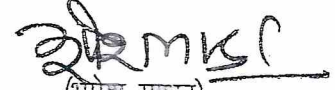
क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामूलाल मीणा	518/92	2332	10.05.1995	10.05.2022	9 वर्ष की एसीपी प्राप्त के आधार पर स्वीकृत
2.	रघुनाथ प्रसाद मीणा	531/92	2334	30.03.1995	30.03.2022	
3.	मधु शर्मा	47/94	8764	15.05.1996	15.05.2023	
4.	संजय अरोड़ा	59/94	5057	19.02.1996	19.02.2023	
5.	महिपाल सिंह शेखावत	158/94	2872	19.02.1996	19.02.2023	
6.	अशोक कुमार शर्मा	187/94	4261	19.02.1996	19.02.2023	
7.	दयालप्रसाद शर्मा	261/94	4262	26.04.1996	26.04.2023	
8.	प्रशान्त गोयल	330/94	2663	01.03.1996	01.03.2023	
9.	रतन चौधरी	334/94	2563	28.06.1996	28.06.2023	
10.	चम्पालाल सोलंकी	389/94	4655	09.04.1996	09.04.2023	
11.	विजय चौहान	404/94	6043	20.02.1996	20.02.2023	
12.	आशाराम सांखला	436/94	4345	23.05.1996	23.05.2023	
13.	अजय कुमार सैनी	475/94	4352	26.02.1996	26.02.2023	
14.	चतरदास साद	507/94	4660	22.05.1996	22.05.2023	
15.	श्रीमगवान यादव	522/94	5431	08.03.1996	08.03.2023	9 वर्ष की एसीपी प्राप्त के आधार पर स्वीकृत
16.	महेन्द्र कुमार बैरवा	533/94	2965	27.06.1996	27.06.2023	9 वर्ष की एसीपी प्राप्त के आधार पर स्वीकृत
17.	शंकर लाल गौड	547/94	5442	29.06.1996	29.06.2023	9 वर्ष की एसीपी प्राप्त के आधार पर स्वीकृत
18.	रामावतार मीना	568/94	2416	18.05.1996	18.05.2023	9 वर्ष की एसीपी प्राप्त के आधार पर स्वीकृत

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 01, 15, 16 एवं 17 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-III/ 366-74

दिनांक :- 16-8-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.. ..
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।



(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)